न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1908–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–14 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, उप तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/2012–13/अ–6.

नैमीचन्द ओझा पुत्र स्व. श्री चीमाराम ओझा
निवासी ग्राम सबराई,
उप तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर
हाल निवासी मोटे गणेश जी के पास,
खासगी बाजार, लश्कर ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– राम गोपाल कटारे पुत्र श्रीपाल कटोर
2– प्रहलाद सिंह पुत्र श्रीपाल कटोर
निवासीगण ग्राम लावनपुरा पोस्ट आरौन
उप तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री नैमीचंद ओझा,अभिभाषक, आवेदक
श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अभिभाषक,अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/1/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, उप तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 4–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर तहसीलदार, वृत्त 2 घाटीगांव, ग्वालियर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा ग्राम आरौन स्थित भूमि सर्वे कमांक 25 रकबा 1.097

हेक्टेयर को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किये जाने के कारण नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2012–13/अ–6 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा दिनांक 28–5–14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन विक्रय पत्र, विक्रय पत्र नहीं होकर बंधकनामा है और भूमिस्वामी की मृत्यु उपरांत उसका नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर हो चुका है, अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4–6–14 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–6–2014 को आदेश पारित करते हुए आपत्ति का गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा संक्षिप्त आदेश पारित कर आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा आपत्ति के संबंध में न्याय दृष्टांत संलग्न किये गये थे, जिन पर भी उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से आपत्ति प्रस्तुत की गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उपय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2012–13/अ–6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान दिनांक 28–5–14 को आवेदक द्वारा

मुख्यतः इस आशय की आपत्ति की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्र वास्तव में विक्रय पत्र नहीं होकर बंधकनामा है और प्रश्नाधीन भूमि पर उसकी माताजी के स्थान पर उसका नामांतरण भी हो चुका है, अतः अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदक की ओर से प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश से आपत्ति प्रस्तुत की गई है, आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रश्नाधीन दस्तावेज विक्रय पत्र नहीं होकर बंधकनामा है । प्रारंभिक स्तर पर नामांतरण का प्रकरण समाप्त करना विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । अतः तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, उप तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 4–6–14 स्थिर रखते हुए प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर